न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29/2024

कालूराम पुत्र जोधाराम जाति कुमावत निवासी सिंघाटियो की ढाणी, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये:—तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— 1. श्री लालचंद कुमावत वकील प्रार्थी

2. सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक :— 30/05/2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 359/1 रकबा 0.2403 है0 गै0मु0, खसरा नं. 359/13 रकबा 0.1517 है0, वाकै ग्राम बबेरवालो की ढाणी मे स्थित है। भूमि का उक्त रकबा जमाबंदी मे मौके की नाप के अनुसार गलत दर्ज किया गया है इसी कारण राजस्व नक्शा जो ऑनलाईन किया गया है वह भी मौके की स्थिति के विपरीत दर्ज कर दिया गया है।

प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0न0 359/1 का रकबा 0.1517 है0 है तथा ख0न0 359/13 का रकबा मौके पर 0.2403 है0 है। इसी अनुसार जमाबंदी मे रकबा दर्ज होना चाहिए था परन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण रकबा गलत दर्ज कर दिया गया है। उक्त आराजी पूर्व मे ख0न0 359 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा का भाग थी जिसमे प्रार्थी का 1/8 हिस्सा था तथा विभाजन के पश्चात प्रार्थी को उक्त ख0न0 359/1 रकबा 0.1517 है0 तथा ख0न0 359/13 रकबा 0.2403 है0 का प्राप्त हुआ है जो नक्शे कर्रेजात बनाये गये है वह भी इसी अनुसार बनाये गये थे तथा मौके पर कब्जा भी इसी अनुसार था किन्तु जमाबंदी मे नक्शे कुर्रेजात का अमल दरामद करते समय लिपिकीय त्रुटि के कारण दोनो खसरा नम्बरान का रकबा अदल बदल कर दिये जाने के कारण जमाबंदी मे गलत दर्ज कर दिया गया है। इसी कारण खसरा नं0 रकबा नक्शे मे भी कम ज्यादा दर्ज कर दिया गया है।

प्रार्थी मौके पर ख0न0 359/1 की आराजी का रकबा 0.2403 है0 व ख0न0 359/13 रकबा 0.1517 है0 के अनुसार ही काबिज है व उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है राजस्व जमाबंदी व नक्शे मे दोनो ख0न0 का रकबा एक दूसरे के

dSC
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अदल बदल दर्ज कर दिये जाने के कारण आराजी का उपयोग उपभोग करने मे व्यवधान उत्पन्न होने लग गया है तथा आराजी को विकसित करने बाधा उत्पन्न होने लग गयी है। प्रार्थी ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूरत करवाने के लिए दिनांक 18/3/2024 को अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी के द्वारा आदेश क्रमांक एलआर/24/1923 दिनांक 18/3/2024 के द्वारा हल्का पटवारी को लिखा गया जिस पर हल्का पटवारी के द्वारा जांच कर प्रार्थी को सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही दुरूरत्ती किये जाने को कहा इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र बाबत दुरूस्ती अप्रार्थी के विरूद्व पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी का रकबा जमाबंदी मे जो दर्ज किया गया है उसके अनुसार आराजी ख0न0 359/1 रकबा 0.2403 है0 के स्थान पर 0.1517 है0 तथा खसरा नं. 359/13 रकबा 0.1517 के स्थान पर रकबा 0.2403 संशोधित कर दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे मे जो ऑनलाईन किया गया है उसको भी संशोधित किया जाकर नक्शे को दुरूस्त किया जावे तथा ख0न0 359/1 मे दर्ज गै0मु0 को हटाया जावे व अन्य सहायता जो न्यायालय उचित समझे प्रार्थी के पक्ष मे दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गयी कि ग्राम बबेरवालों की ढाणी आराजी ख0नं0 359/1 रकबा 0.2403 हे0 किस्म गै0मु0, ख0नं0 359/13 रकबा 0.1517 हे0 किस्म चाही 1 कालूराम पुत्र जोधाराम हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि के खसरा नम्बरो का रकबा मौके स्थिति की नाम के अनुसार विपरित दर्ज है अर्थात मौके पर खसरा नंबर 359/1 का रकबा 0.1517 हे0 तथा खसरा नं0 359/13 रकबा 0.2403 हे0 जमाबंदी अनुसार आपस मे विपरीत दर्ज है। मुताबिक मौके के अनुसार आराजी ख0नं0 359/1 रकबा 0.1517 हे0 तथा खसरा नंबर 359/13 का रकबा 0.2403 हे0 है। किन्तु सहवन से डिक्री (तकासमा) में तथा जमाबंदी में रकबा गलत (विपरीत) दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नबंर का मूल खसरा नं0 359 का रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा का था जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/8 था। उक्त आराजी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक डिक्री कुरेजात क्रमांक 1409—10 दिनांक 04.12.2005 से विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय संहवन से मौके के अनुसार रकबा दर्ज नहीं कर दोनों खसरा नम्बरान का आपस में विपरीत रकबा दर्ज कर दिया गया। आराजी खसरा नं0 359/1 रकबा 0.1517 हे0 दर्ज होना है तथा किस्म गै0मु0 दर्ज है जो मुताबिक डिक्री कुरेजात अनुसार अमल दरामद नहीं है। अतः मुताबिक मौका कबिज अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक कब्जा अनुसार मौके स्थिति की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जाचं व सीमाज्ञान करने पर पाया की प्रार्थी कालूराम पुत्र जोधाराम द्वारा ख0नं0 359/1 रकबा 0.1517 हे0 तथा खसरा नं 359/13 रकबा 0.2403 हे0 पर फसल–काश्त करता है तथा निर्विवादित काबिज है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा दुरूस्ती के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि खसरा नम्बरा 359/1 एवं 359/13 का रकबा मौके स्थिति की नाम के अनुसार विपरित दर्ज है अर्थात मौके पर खसरा नंबर 359/1 का रकबा 0.1517 हे0 तथा खसरा नं0 359/13 रकबा 0.2403 हे0 जमाबंदी अनुसार आपस मे विपरीत दर्ज है। मुताविक मौके के अनुसार आराजी ख0नं0 359/1 रकबा 0.1517 हे0 तथा खसरा नंबर 359/13 का रकबा 0.2403 हे0 है। आराजी खसरा नं0 359/1 रकबा 0.1517 हे0 दर्ज होना है तथा किस्म गै0मु0 दर्ज है जो मुताबिक डिक्री कुरेजात अनुसार अमल दरामद नहीं है। अतः मुताबिक मौका कबिज अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 359/1 एवं 359/13 वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी का रकबा मौके कि स्थिति के विपरीत दर्ज है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 359/1 रकबा 0.2403 हे0 के स्थान पर 0.1517 हे0 तथा खसरा नंबर 359/13 रकबा 0.1517 हे0 के स्थान पर रकबा 0.2403 हे0 संशोधित कर दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाकर दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नंबर 359/1 में दर्ज गै0मु0 को हटाया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर